न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – रजनी माधीवाल
प्रकरण संख्या – 313 सन् 2011 प्रार्थनापत्र

उनवान

1– श्री उस्मान खॉ पिता मुस्तकिम खान पठान, जाति पठान, आयु बालिग, निवासी लाल खॉ जी का खेड़ा, स्टेशननगर, माण्डल हाल आसीन्द, तहसील आसीन्द,जिला भीलवाड़ा (राज.) – प्रार्थी

बनाम

1– श्री मुस्तकिम खान पिता जमीर खॉ पठान, जाति पठान, आयु बालिग, निवासी लाल खॉ जी का खेड़ा, स्टेशननगर, माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.) – विपक्षीगण

वादपत्र बाबत् घोषित कराने खातेदार काश्तकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा. प्रार्थनापत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः
अधिवक्ता श्री मोहम्मद वासिफ खॉ पठान – प्रार्थी
अधिवक्ता श्री शरद कुमार पालीवाल –विपक्षी संख्या 1

दिनांक 28.08.2018

निर्णय

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विपक्षीगण के विरूद्व पेश किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने विरूद्व विपक्षी संख्या – 1 जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात ग्राम स्टेशननगर, पटवार हलका संतोकपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 7602/2 रकबा 01–04 बीघा, 7603/2 रकबा 00–09 बीघा, 7604/2 रकबा 00–13 बीघा, 7721/2 रकबा 01–04 बीघा, 7601/2 रकबा 01–00 बीघा व 7729/2 रकबा 02–02 बीघा कुल किता 6 रकबा 06–12 बीघा स्थित होकर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या –1 की सामलाती आराजीयात स्थित है और आराजियात विपक्षी संख्या –1 के नाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या –1 विकय करने एवं अन्य किसी माध्यम से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या –1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि विपक्षी संख्या –1 प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजियात को विकय या अन्य किसी माध्यम से खुर्द–बुर्द न करे , न करावें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त , भूगत, भोग , दखल ना स्वयं करे,ना करावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2. विपक्षी संख्या –1 ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का जवाब देते हुए जाहिर किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या –1 के संयुक्त सामलाती आराजियात नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या –1 व उसके भाई महमूद खॉ एवं मानुद खॉ के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। जिस पर विपक्षी संख्या –1 व उनके भाई काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी का विपक्षी संख्या –1 से कोई किसी प्रकार का संबंध एवं वास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अपने वाद में उक्त आराजियात विपक्षी संख्या –1 के साथ सामलाती क्यों कर व कैसे है ? के बाबत् स्पष्ट अभिवचन अपने वाद में नहीं किया है। प्रार्थी विपक्षी संख्या –1 का पुत्र नहीं है और न ही विपक्षी संख्या –1 प्रार्थी का पिता नहीं है। विपक्षी संख्या –1 के तीन पुत्र कमशः मोहम्मद ईतियाक, शहजाद खॉ, फारूख खॉ है व तीन पुत्रियॉ कमशः रोशन आरा, गुलशन आरा, गुलनाज आरा है, तथा रईसा बानू विपक्षी संख्या –1 की बेगम है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रार्थी को उक्त वाद प्रस्तुत करने कि कोई लोक्श स्टेण्डाई न होने से यह वाद ही किसी कदर पोषणीय न होकर सदम खारिज है। विपक्षी संख्या –1 अपने खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की आराजियात का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का हक अधिकार रखता है। प्रार्थी का कोई हक अधिकार विवादित आराजियात में नहीं है। ना कानूनन बनता है। मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार की अवधारणा ही कानून नहीं होती है। ऐसी हालत में प्रार्थी का वाद किसी कदर पोषणीय नहीं रहता है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी का विपक्षी से कोई किसी प्रकार का संबंध होना भी प्रार्थी ने अपने वाद एवं प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिवचनों में नहीं बताया है न प्रार्थी का कोई संबंध ही उत्तरदाता विपक्षी से है ऐसी हालत में घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त वाद प्रस्तु करने की प्रार्थी को कोई लोक्स स्टेण्डाई न होने से उक्त वाद कानूनन पोषणीय न होकर काबिल खारिज के है।

3. बहस उभय पक्षकारान अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनपत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का है।

   कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बने इस हेतु प्रार्थी को यह सावित करना था कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या एक में आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या –1 की सामलाती आराजियात किस प्रकार है प्रार्थी ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र में कही भी अभिवचन नहीं किया है ।

   कि प्रार्थी का विपक्षी संख्या –1 से क्या संबंध है तथा पत्रावली पर जो दस्तावेज जमाबंदी पेश कि हुई है। उक्त जमाबंदी महमुद खॉ, मुस्तकीन खॉ, मावुद खॉ पिता जमीर खॉ पठान मुसलमान के खातेदारी अधिकार की है। इसके अलावा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा अपने वाद व प्रार्थनापत्र के समर्थन में पेश किया जिससे प्रार्थी का कोई हक अधिकार विपक्षी संख्या –1 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अधिकार की आराजियात में उत्पन्न होता है। इसलिए समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला इस स्तर पर बनना नहीं पाया जाता है। चूँकि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी तीनों बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रहा है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी मांडल जिला (भीलवाड़ा)